(b) if so, the damage caused to India's own fishing wealth and fishing industry as a result thereof;

(c) whether labour unions and coastal States have demanded cancellation of all these licences; and

(d) whether Government propose to accede to this demand and if so, by when?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI DILIP KUMAR RAY): (a) There are 15 valid charter permits as on 15.7.96 and only 4 vessels out of these are in operation.

(b) There is no scientific data/report to the effect that chartered vessels have caused damage to Indian fishing wealth and fishing Industry. It has been found that the catch from these vessels, being less than 0.5% of the total marine production in 1995, is too small a proportion to pose such a threat.

(c) Fishermen's groups and some coastal State Governments have demanded cancellation of charter permits, joint venture/leasing permissions etc.

(d) The Government had constituted a Review Committee to make recommendations for review of the deep sea fishing policy. This Review Committee has submitted its report and one of its recommendations is that charter permits may be cancelled, subject to legal processes as may be required. Action has been initiated at inter-Ministerial level to examine these recommendations.

बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना

503. **श्री एस०एस० सुरजेवाला:**
श्री अजीत जोगी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी को देश में पूर्ण स्वामित्व आधार पर इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है और उसे निर्यात करने की अनिवार्य शर्त से भी छूट दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आम इस्तेमाल के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के उद्योगों और टी० वी० मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित न करने का कोई अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में मौजूदा नीति की समीक्षा करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) और (ख) औद्योगिक नीति पर दिनांक 24 जुलाई, 1991 को सदन के पटल पर रखा गया वक्तव्य विदेश पूंजीनिवेश का स्वागत करता है जो देश के औद्योगिक विकास के हित में है तथा इससे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विपणन में विशेषज्ञता, आधुनिक प्रबंधकीय तकनीकों के प्रवर्तन तथा निर्यात संवर्धन की नयी संभावनाओं के सहायक लाभ प्राप्त होते हैं। विदेशी साम्य पूंजी का निवेश नीति में निर्धारित सिद्धांतों तथा सरकार की पूर्व अनुमति की शर्तों के अधीन है। तदनुसार, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र से संबंधित मामलों को अनुमोदित किया है।

(ग) उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी तथा टीवी विनिर्माता संघ (सेटमा) ने उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय व्यापारिक कम्पनियों को अनुमति देने तथा निर्यात की किसी बाध्यता के बिना शत-प्रतिशत विदेशी साम्या पूंजी वाली कम्पनियों को अनुमति देने के लिए सितम्बर 95 में अभ्यावेदन किया था।

(घ) और (ङ) इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र के लिए विदेश पूंजीनिवेश के बारे में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से प्राप्त प्रस्तावों पर विदेशी पूंजीनिवेश से संबंधित सरकार की सामान्य नीति के अनुसार कार्रवाई की जा रही है;

Application of Agri-Electronic Instruments

504. SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Agri-electronic instrrments developed by the

Central Scientific Instruments Organisation have only cosmetic value and are of very little use in actual practice;

(b) if so, the reason therefor;

(c) if not, the measure of successful application of these instruments in Agriculture; and

(d) how many pieces of each such instruments have been sold and are in use presently?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) No, Sir. The instruments developed are cost-effective and useful.

(b) Does not arise.

(c) and (d) The instruments developed have been licensed to several firms for commercial production. The licencees are establishing facilities for production. Already 950 field PH meter, 3 Electrolytic Conductivity/Salinity Drop Tester and 2 Specific Ion Analyser have been sold by the licencees.

दिल्ली में सरकारी आवासों के लिए विशेष पूल

505. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में सरकारी आवासों के आवंटन के लिए कौन-कौन से विशेष पूल हैं;

(ख) ऐसे विशेष आवासों के आवंटन के लिए कितने कर्मचारी और अधिकारी पात्र हैं;

(ग) क्या लोक सभा सचिवालय के लिए किसी विशेष पूल का प्रावधान है;

(घ) क्या विशेष पूल को प्राथमिकता दी जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी टाइप-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटस्वरलू): (क) विभिन्न विभागों/संगठनों के कार्मिकों हेतु साधारण पूल वास से मकान देकर बनाये गये 24 विशेष पूलों की सूची विवरण में संलग्न है (नीचे देखिए)

(ख) इस मंत्रालय द्वारा ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते है।

(ग) जी, हां। जैसा कि ऊपर (क) में उल्लिखित है।

(घ) और (ङ) विशेष पूलों के तहत मकानों का आवंटन संबंधित विभागों/संगठनों द्वारा स्वयं किया जाता है।

विवरण

क्र० सं०	विभाग/संगठन का नाम
1.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी०आर०पी०एफ०)
2.	सुरक्षा महानिदेशालय (प्रचालानत्मक और अनिवार्य स्टाफ हेतु)
3.	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी०बी०आई०) (प्रतिनियुक्ति पर आने वालों के लिए)
4.	सीमा सुरक्षा बल (बी०एस०एफ०)
5.	दिल्ली पुलिस
6.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
7.	आसूचना ब्यूरो (आई०बी०)
8.	डाक तार महानिदेशालय
9.	भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आई०टी०बी०पी०)
10.	सफदरजंग अस्पताल
11.	डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल
12.	महानिदेशालय (विमानन)
13.	केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो
14.	विशेष सुरक्षा दल (एस०पी०जी०) (मंत्रिमंडल सचिवालय)
15.	अनुसंधान एवं मूल्यांकन स्कन्ध
16.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा
17.	महानिदेशालय (राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड)
18.	लोक सभा संसदों व सचिवालय स्टाफ हेतु अलग-अलग पूल
19.	राज्य सभा
20.	भारत सरकार प्रैस
21.	रक्षा
22.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली
23.	दिल्ली उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के लिए पूल
24.	सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीशों के लिए पूल